



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072021-228154
CG-DL-E-07072021-228154

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2520]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/ आषाढ़ 16, 1943

No. 2520]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

का.आ. 2722(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास लिमिटेड नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में सदृश प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सदृश प्रविष्टि में खंडों के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंडों का विकास तथा अनुरक्षण संबंधी कार्य करेगा।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
52	दिगारू – चौखम खंड (अरुणाचल प्रदेश राज्य में)	किमी 688.000 से किमी 806.75

[फा. सं. एनएच-14013/12/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2021

S.O. 2722(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby directs that the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the Table below, of the corresponding section as specified in the corresponding entry in column (2), of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

Table

National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
52	Digar-Chowkham section (In the State of Arunachal Pradesh)	Km. 688.000 to Km. 806.75"

[F. No. NH-14013/12/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

का.आ. 2723(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 496 (अ), तारीख 12 फरवरी, 2015 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रमशः स्तंभ (1), (2) एवं (3) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा, अर्थात्:-

"52	दिगारू – चौखम खंड	किमी 688.000 से किमी 806.75
-----	-------------------	-----------------------------

[फा. सं. एनएच-14013/12/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना का.आ. 496(अ), तारीख 12 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2021

S.O. 2723(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 496 (E), dated the 12th February, 2015, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

"52	Digar-Chowkham section	Km. 688.000 to Km. 806.75"
-----	------------------------	----------------------------

[F. No. NH-14013/12/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O 496(E), dated the 12th February, 2015.